

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट / अपर  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0.0000327 / 2015

सरकार.....बनाम.....संतोष यादव आदि

आरोप

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **1.संतोष यादव व 2.राकेश यादव** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

1. यह कि दिनांक 15/11/2012 को समय करीब 8.30 बजे रात स्थान भेलू तालाब मोड़, राममनोहर की दुकान के सामने अपट्रान थाना क्षेत्र चिनहट जिला लखनऊ में आप लोगो ने वादी मुकदमा रामपाल जोकि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को साशय लात-घूसो से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण प्रकृति की चोटे पहुँचायी और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 323 सपठित धारा 34** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा राजपाल को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, गंदी-गंदी गालियां देकर अपमानित किया और इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 504** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा राजपाल की सफारी गाड़ी नं0 यू0पी0-32/ई0जे0-8400 के शीशे ईट मारकर तोड़ दिये और आर्थिक क्षति कारित किए। इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 427** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप लोगो ने वादी मुकदमा राजपाल को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, मारापीटा, जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया। इसप्रकार से उसके द्वारा आप लोगो ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **धारा 3(1)10 एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

.2.

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक :22 / 09 / 2015

(एस0ए0एच0रिजवी),  
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /  
अपर सत्र न्यायाधीश,  
लखनऊ।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांक :22 / 09 / 2015

(एस0ए0एच0रिजवी)  
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /  
अपर सत्र न्यायाधीश,  
लखनऊ।

अ0ज0

22 / 09 / 15

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0:0000327/2015

सरकार

बनाम

संतोष यादव आदि

**22-09-2015**

पुकारा गया। अभियुक्तगण **संतोष यादव व राकेश यादव** उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चिनहट द्वारा आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 323,504,427 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट प्रस्तुत किया गया है।

आरोप के विन्दु पर विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोप विरचित किये जाने पर बल दिया। इसके विपरीत अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अतः उन्हें उन्मोचित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस अभिलेखों से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप अन्तर्गत धारा 323/34,504,427 भादं0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट गठित होना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण पर उपरोक्त धाराओं में आरोप पृथक पत्र पर विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उन्होंने आरोप अस्वीकार किया तथा परीक्षण चाहा।

अभियोजन साक्षी तलब हों। पत्रावली दिनांक 17/11/2015 को साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट,  
लखनऊ।

अ0ज0

22/09/15

